नई दिल्ली
राजधानी

मौसम
तापमान नई दिल्ली
अधिकतम-35.2 डि.से. सूर्योदय- 5:52
न्यूनतम-29.3 डि.से. सूर्यास्त- 18:58

'आप' और भाजपा का एक-दूसरे पर आरोप

शाहीनबाग धरना-प्रदर्शन बना सवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

भाजपा में शाहीनबाग के नेताओं के शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी व भाजपा ने एक-दूसरे पर धरना-प्रदर्शन आयोजित करने का जिम्मेदार ठहराया है। 'आप' ने जहां शाहीनबाग में हुए धरना-प्रदर्शन के लिए सीधे तौर पर भाजपा को कठघरे में खड़ा किया है। वहीं, दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि शाहीनबाग की जनता ने कांग्रेस व 'आप' की पोल खोलकर रख दी है।

सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली चुनाव की रणनीति के तहत भाजपा ने ही शाहीनबाग में 101 दिन का धरना कराया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरा चुनाव शाहीनबाग पर लड़ा। चुनाव से पूर्व हुई सर्वेक्षण में पहले सर्वे में दर्ज 18 प्रतिशत वोट बढ़ा, जो बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार इस विषय का भाजपा ने राजनीतिक लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि जिस शाहीन बाग के लोगों ने देश विरोधी, देश के टुकड़े-टुकड़े करने व पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए, उन्हें खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश पुसा ने पार्टी में शामिल कराया है। उन्होंने कहा कि अब समझ आया कि कमल निशान का तार शाहीनबाग से कैसे जुड़ा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहीनबाग के बाद नफरत इतनी बढ़ाई गई कि दिल्ली से दंगे हुए और जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई। 'आप' ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है।

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पर्दाफाश : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी व कांग्रेस को घेरा है। भाजपा नेता निगहत अब्बास ने कहा कि दोनों ही पार्टियों का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा शुरू से कहती आ रही थी कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, अब लोगों को यह बात समझ आ रही है, इसलिए वे भाजपा का साथ दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मुसलिम समाज के लोगों का हमेशा शोषण किया है।

आम आदमी पार्टी का नेता पूरी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य आरोपी निकला है। शाहीन बाग का प्रदर्शन अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी द्वारा रचाया हुआ था। भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने ट्वीट कर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अचानक कल से आम आदमी पार्टी के नेताओं को शाहीन बाग की लोकर पेट दर्द क्यों हो रहा है। गलती से ही सही आज 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज एवं अन्य लोगों ने मान लिया कि वहां देश विरोधी नारे लगे तो बताओ उस वक्त तो लेकर आज तक 'आप' नेता चुप रहे थे भाजपा भी यही बात कर रही है।

चुनावी फायदे के लिए बिगाड़ रहे भाईचारा : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे नेता के भाजपा में शामिल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने पार्टी पर हमला करना शुरू कर दिया है। दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जय किसान ने सोमवार को कहा कि भाजपा छल और कपट की राजनीति करती है। चुनावी फायदे के लिए पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी भाई-चारे को बिगाड़ने का काम करती है।

पीपी दिनों दिल्ली में यही सब हुआ है।

भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा दूसरे पार्टियों पर अनर्गल आरोप लगाती है। सत्ता की भूख भाजपा में दिखता। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे नेता को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यह सब कुछ आगामी दिनों में होने वाले नगर निगम के चुनावों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पर दिल्ली की जनता अब आदमी पार्टी और भाजपा की सच्चाई को समझ गई है।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
शाखा- 19, सिविल लाइन, रुड़की.

बकाया सूचना
(अचल सम्पत्ति हेतु)

एतद्द्वारा, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी) में प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्न वर्णित ऋणी/यों/संबंधकर्ता/ओं को मांग सूचना पत्र निम्नवर्णित तिथियों को भेजे गए कि वे उक्त नोटिस/सों की प्राप्ति/नोटिस जारी करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित मांग सूचना पत्र में दी गयी राशि का भुगतान कर दें। ऋणी/यों/संबंधकर्ता/ओं द्वारा ऋण राशि का भुगतान न कर पाने के कारण सभी ऋणी/यों/संबंधकर्ता/ओं और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद्व द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक/भौतिक कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को ले लिया है। ऋणी/यों/संबंधकर्ता/ओं को विशिष्टतः और सर्वसाधारण को सामान्यतः सतर्क (सावधान) किया जाता है कि वह निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ कोई लेन-देन न करें। जलानी आस्ति को Redeem कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में ऋणी/यों/संबंधकर्ता/ओं/गारन्टीकर्ता/ओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। सम्पत्तियों से किया गया किसी भी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक के ऋण भार के निम्नलिखित वर्णित शर्तों एवं उक्त पर ब्याज व अन्य खर्चे के अधीन होगा।

क्र0 सं0	ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	विपत्रांकी गयी कब्जा नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
1.	ऋणी: श्रीमती सर्मीला पत्नी श्री शकिनुर रहमान एवं अन्य, 72, गौरूला कॉलिज शाहेरा, रुड़की। बंधककार पता: शिवपुरा, रहीमपुर, सर्वोच्च पब्लिक स्कूल के सामने, रुड़की।	आवासीय मकान (समस्त प्लॉटों) प्लॉट क्षेत्रफल 222.17 वर्ग मीटर स्थित खसरा नं0 124, ग्राम- रहीमपुर, सर्वोच्च पब्लिक स्कूल के सामने, रुड़की, तहसील- रुड़की, जिला- हरिद्वार। चौ0 नं0 1, सिटी नं0 3207, प्लेन नं0 119/140, रा0 सं0 7294, दिनांक 25.06.2012, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस रुड़की पर पंजीकृत है।	13.12.2019	14.09.2020 भौतिक कब्जा	रु0 29,98,968.72 + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 31.08.2019

दिनांक: 17.08.2020 स्थान — सिविल लाइन रुड़की प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सिविल लाइन, रुड़की

संसद के एनेक्स भवन में लगी आग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

संसद भवन के एनेक्स भवन में सोमवार सुबह आग लगी गई। घटना की सूचना सुबह करीब साढ़े सात बजे दमकल और स्थानीय पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर सात दमकलें मौके पर पहुंचे। आग करीब पंद्रह मिनट तक एक कमरे में लगी थी। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि आग शॉर्ट-सर्किट की वजह से लगी होगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है।

संसद भवन के एनेक्स भवन में सोमवार सुबह आग लगी गई। घटना की सूचना सुबह करीब साढ़े सात बजे दमकल और स्थानीय पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर सात दमकलें मौके पर पहुंचे। आग करीब पंद्रह मिनट तक एक कमरे में लगी थी। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि आग शॉर्ट-सर्किट की वजह से लगी होगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है।

फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि संसद भवन के एनेक्स भवन में आग लग गई है। सूचना मिलने पर सात दमकल मौके पर पहुंचे। आग करीब पंद्रह मिनट तक एक कमरे में लगी थी। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि आग शॉर्ट-सर्किट की वजह से लगी होगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है।

घर-घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच करें कार्यकर्ता : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अगस्त।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हर गांव व शहर के बूथों पर आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन जांच केंद्र बनाने के लिए देश के सभी प्रदेश संयोजक और पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की।

अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे घर-घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच करें, जिससे कोरोना से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। इसके लिए पार्टी देश के सभी गांव और शहर के बूथ पर आम आदमी पार्टी ऑक्सीजन केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि जहां पार्टी का संगठन नहीं है, वहां पदाधिकारियों को गांव में एक-एक व्यक्ति तलाशना है, जो अपने गांव में ऑक्सीजन जांच केंद्र बनाएगा और उसे 'ऑक्सी मित्र' कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों का यह बताना नहीं चलेगा कि उनकी गांव में जान पहचान नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से हर गांव में जाकर बात करनी होगी और टीम तैयार करनी होगी। अरविंद केजरीवाल ने देश के सभी प्रदेश संयोजक और पदाधिकारियों को अगले दो दिन के अंदर अपने राज्य की योजना बना कर भेजने की अपील की है।

TATA
टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
सी0 सेंटर, ट्रेडिंगकॉर्ड टॉवर, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110015

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी सैनी के नाते कर्तव्यों में कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित धन प्रतिभुगतान करने के लिए कहते हुए नोटिस के अनुसार 25 फरवरी, 2020 को एक नोटिस जारी की थी।

उक्तानुसार उक्त ऋण के प्रतिभुगतान में असफल रहने के कारण विलेख एवं प्रतिभूतियों तथा लागू कानून की धारा 13(4) के तहत उसे प्राप्त शक्तियों के उपयोग में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर अन्तरित कर लिया है।

अधिनियम की उक्त धारा तथा नियमावली और नियमावली के उपरांत उपलब्ध के संबंध में उक्त देनदार/ओं को आम तौर पर सावधान किया जाता है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे वर्णित राशि तथा ब्याज एवं अन्य खर्चों के अधीन होगा।

ऋण खाता सं0	कब्जे की तिथि
[illegible]	12 अगस्त, 2020

सम्पत्तियों का विवरण (चल/अचल सम्पत्ति) (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

कुल बकाया राशि (रु.)	रु. 46,52,702.55/-
नोटिसों की तिथि	29 फरवरी, 2020 तक

प्रतिभूत आस्तियों/अचल सम्पत्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण : समाप्ति सं. 34, माप 200 वर्ग मीटर, आवासीय कॉलोनी केसर गंज, अजमेर, राजस्थान, राजस्थान एवं जिला सुरजपुर, अजमेर-125001 पर स्थित, जिसका विवरण दिनांक 17.08.2006 के अनुसार, सुरजपुर पंजी, उपनिबंधक तिलोर, अजमेर सिटि के पंजी में, उपखण्ड सं. 10469, बुक सं. 1, बंदोबस्त सं. 6561, पृष्ठ सं. 50-60 के रूप में दर्शित पंजीकृत।

दिनांक : 18.08.2020 ह./- अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पिरामिड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
सैक्टर-70ए, गुरुग्राम, लाइसेंस नं. 84 of 2012

फ्लैटों के रद्द की सूचना

सूचित किया जाता है कि मैसर्स पिरामिड इन्फ्राटेक प्रा. लि. द्वारा विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित अपार्टमेंटस ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी, पिरामिड सुपुकुल होम्स, सैक्टर 70ए, गुरुग्राम, हरियाणा लाइसेंस नं. 84 of 2012 में स्थित 06 फ्लैटों के लिए 06 आवेदकों का द्वारा 22 अगस्त 2020, शनिवार को अपराह्न 10:45 बजे उनके फ्लैटस, सुशांत स्कोर-2, ब्लॉक-ई, सैक्टर-55, गुरुग्राम, हरियाणा में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

वर्तमान महामारी को ध्यान में रखते हुए और कोविड-19 से बचाव के लिए गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा और किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जायगा।

MHA & DGTCP हरियाणा चंडीगढ़/उपायुक्त, गुरुग्राम के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्रॉ स्टाफ, ड्रॉ कमिटी और आवेदकों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में किया जायगा। शेष आवेदनकर्ता ड्राफ्ट लाइव टेलीकास्ट नीचे दिए गए यू-ट्यूब लिंक पर लॉगइन करके 22 अगस्त 2020 को अपराह्न 1100 बजे से देख सकेंगे।

यू ट्यूब लिंक:
https://www.youtube.com/channel/UCNiyud4mRzgpNENKIWuLbeg
कॉरपोरेट कार्यालय : 217ए-217बी, द्वितीय तल, सनसिटी बिजनेस टॉवर, सैक्टर-54, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम। फोन- 0124-4274046

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि रोकटर 106, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित 10.0875 एकड़ नाप का भूखंड, 'लाइसेंस नं. 37/2012 दिनांक 22.04.2012, ग्राम बलवाड़ा, भूमि क्षेत्र- 12/1/7 (8-0), 24 (8-0), 25 (8-0), 14/2/1 (8-0) कुल 32 कनाल 0 मरला (4.00) एकड़); लाइसेंस नं. 43/2014 दिनांक 18/06/2014, ग्राम कावाड़ा, भूमि क्षेत्र- 12/1/6/1 (2-0) कुल 2 कनाल 0 मरला (.25 एकड़); लाइसेंस नं. 44/2014 दिनांक 18/06/2014, ग्राम मानकपुर, भूमि क्षेत्र- 12/1/5/1/1 (2-7), 8/1/1 (0-17), 8/2/1 (0-14), 9/2/1 (0-12), 14/1/2 (0-13), 15/1 (4-11) कुल 15 कनाल 14 मरला (1.8625 एकड़); लाइसेंस नं. 56/2011 दिनांक 23.08.2011 गाँव गुरुग्राम, भूमि क्षेत्र- 262 (4-18), 263 (1-8) कुल 6 बीघा 4 बिस्वा (0.875 एकड़), ("उक्त भूखंड"), जिसका पूर्व स्वामित्व मैसर्स मैरियाना इंफ्राटूबाय लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय एफ-62 तथा 63, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 के पास है, को मैरियाना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से मैसर्स पुनीदुत एस्टेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय एफ-62 तथा 63, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को अंतरित किया जाना प्रस्तावित है।

ऐसी कोई भी संस्था/व्यक्ति, जिसको उक्त भूखंड के किसी अधिकार, विलेख, भार, हित, भाग अथवा हित के संबंध में अथवा कालित संभावना से संबंधित कोई आपत्ति है अथवा किसी संस्था/व्यक्ति को ऐसा कोई ज्ञान है अथवा यह किसी बिक्री, विनिमय, निक्षेपण, प्रभार, उपहार, लाइसेंस, किराएदारी, विरासत, ग्रहण अधिकार, दृष्टि बंधन अधिकार, लम्बित न्यायालीय मामले, कब्जे, करार/अनुबंध, पेंडिंग अधिकार, साझेदारी, परिवार व्यवस्था/समाधान, डिक्री अथवा किसी न्यायालय के आदेश, सरकार अथवा किसी अन्य मुलाई द्वारा अधिग्रहण किए जाने, उक्त भूखंड के संबंध में प्रतिबंध अथवा अन्य कोई अवरोध के प्रति व्यवहार है अथवा कोई चाहा है तो ऐसी संस्था/व्यक्ति को निर्दिष्ट रूप में सूचनी सूचना सहित नगर योजनाकार (एनटीपी), एनआरपी परिसर, सेक्टर 14, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 के समक्ष एतद्वारा प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में, यह मान लिया जायेगा कि उक्त भूखंड के प्रति अथवा के संबंध में दूसरे प्रकार के किसी प्रतिभूत अधिकार, विलेख, हित, अंतरण, भाग अथवा किसी भी प्रकार की मांग का, किसी भी व्यवहार में, कोई अस्तित्व में नहीं है।

SIGNATURE GLOBAL
MAKING INDIA AFFORDABLE
AN EQUITY LISTED INFRA REAL ESTATE DEVELOPER COMPANY

शहर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार पंजीकृत नियमों के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अपार्टमेंट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
(विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचर इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट का प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 73 of 2019 दिनांक: 04-07-2019, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि: 30.09.2019- मैनो न.: ZP-1339/AD(RA)/2019/24562, हरियाणा रेरा प्रमाणित नं.: 89 OF 2019 DATED 14.11.2019
3. स्थान	सेक्टर 95, गुरुग्राम, हरियाणा।
4. प्रोजेक्ट के तोजफल संबंधी जानकारी	ग्रुपहाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5.1625 एकड़ में कुल 788 अपार्टमेंट में से 433 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से गोलिकी अनुसार 5% स्पॉट मैनोमेंट कोटे में आवंटित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। अनुमान सुविधाएँ : 2000 वर्गमीटर का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गमीटर का एक आँगनवाड़ी-सह-क्रेश।

5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

अपार्टमेंट के विवरण

कॉटेजों (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया (वर्गमीटर) (लगभग)	बाल्कनी एरिया (वर्गमीटर) (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (रुपए मिलते करें)	आवंटन के समय भुगतान की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK TYPE -01	114	585.551	83.701	23,84,055	1,19,203	4,76,811
2BHK TYPE -02	37	594.065	82.151	24,17,336	1,20,867	4,83,467
2BHK TYPE -03	115	594.829	74.401	24,18,517	1,20,826	4,83,303
2BHK TYPE -04	94	592.860	85.703	24,14,292	1,20,715	4,82,858
2BHK TYPE -05	37	566.573	83.055	23,87,820	1,19,391	4,77,564
3BHK TYPE -06 (MQ)	29	636.206	105.724	25,94,824	1,29,741	5,18,965
2BHK TYPE -07	7	548.889	99.589	22,45,351	1,12,268	4,49,070

B) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान प्रति 8 महीने की बराबर किश्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चूक के लिए ब्याज्ञा ब्याज जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, चंडिगढ़ 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए बुकिंग वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/नैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • सिंकनिकी : ISI लोक के अनुसार M.S. वेल्डन/अल्युमिनियम पावडर कोटेड/UPVC • पानीकी : ISI लोक : रेस मरोसी/पावडर कोटेड/UPVC • बॉथ फाइटिंग : 4 फुट/2 फुट की चौड़ाई एक सिरामिक टाइल्स एवं क्रोम ऑथम बाथरूम सिस्टरेन्स • किचन काउंटर टॉप ग्रेनाइट/कोरियन • सैनिटरी : ऑथम वाल सिस्टर्नेस • सैनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन - इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC ढांचा स्ट्रक्चर को SEISMIC कोर्ड के समान के लिए, डिजाइन किया गया है।

8. आवेदन की शामा शीशाएँ

I) आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2020 से दोपहर शुक्रवार 1000 बजे तक Signature Infrabuild Pvt. Ltd., Corp.Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, Sector City-1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4998200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7053-121-121। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.08.2020 है। यह परियोजना अब जनता के लिए 19.07.2020 पर खोली गई थी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18.08.2020 थी, जिसे आगे 18.09.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

II) विवरण और संलग्न कॉपी की सूची www.signaturegloba.in पर उपलब्ध है। III आवेदन पत्र प्राप्त करने और जॉन्सन्स आवेदन जमा करने की सुविधा www.signaturegloba.in पर भी उपलब्ध है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी नौकुआ कानून के तहत सामूहिक तौर पर बाध्यकारी कदाच करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालांकि रजीस्टर्ड में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को भी जाएगी जिनमें आवेदक सनेह शादी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कमिश्नर शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक जनेह जनकी पत्नी (या पति) के आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुआ की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या कोई शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी ग्रुहहाउसिंग कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के उल्लंघन सफल कोई भी आवेदक इस नीति के उल्लंघन अन्य किसी कॉलोनी में अपना फ्लैट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो वरीय का केवल एक फ्लैट सुरक्षा होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक कम्पोजिट के सामने लॉट्री से होगा। परिधि में उपयुक्त या उपयुक्त प्रतिनिधि (भूतपूर्व हरियाणा शहर सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर निगमों (सर्वोच्च कार्यालय), संबंध जिले के डीटीपी और कॉलोनाइजरों के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की विधि निर्धारित करने के बाद वेबसाइट अथवा समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आवेदन पत्र और आवेदन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक कार्यालय ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के नियम रेजर्व जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

SIGNATURE GLOBAL aspire
SECTOR-95, GURUGRAM
HAR PARIVAR EK GHAR

SIGNATURE INFRABUILD PRIVATE LIMITED | CIN : U70100DL2013PTC247676
Regd. Office: Unit No. 1310 at 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, New Delhi - 110001
Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City-1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signaturegloba.in

HOME LOAN PARTNER HDFC HOME LOANS YES BANK

PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) में ब्याज अनुदान 2.67 लाख रुपये मूल्य राशि का लाभ उठाएँ

7053-121-121

पार्ट नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार में]
कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तित करने हेतु सामान्यतया में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के प्रावधान (ख) के मामले में
और
एपएमपीएम एक्सप्रेसवे माईनेंस लिमिटेडके (CIN : U93090DL2015PTC279807)
निगम पंजीकृत कार्यालय : एम. नं. 83, द्वितीय तल, नई दिल्ली, दिल्ली-110020 में है, के मामले में
.....याचिकाकर्ता/आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 06/08/2020, को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में दारिवर्तित करने के लिए कम्पनी के शेयर के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12(5) और 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के समक्ष आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के हितसंबंध परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित शपथ एवं आपत्ति की पुष्टियुक्त को सहित हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति एसएफ-21 फॉर्म (www.mca.gov.in) पर निर्देशक निकाय पार्ट आवेदन करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय सी-विंग, हुडको प्लेस, एक्सटेंशन भवन, डीडीयू कॉम्प्लेक्स, कोबी रोड नई दिल्ली-110025 के पता इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :
एम. नं. 83, द्वितीय तल, नई दिल्ली, दिल्ली-110020
उनके के लिए या उसकी ओर से
एपएमपीएम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड
ह0/-
तिथि : 18.08.2020 आशिष बाजपेयी
स्थान : नई दिल्ली निदेशक
डीआईएन : 07944415
आर/जी 202 सेक्टर 22, नोएडा गौतमबुद्ध नगर 122015 यूपीआर

SBI
भारतीय स्टेट बैंक
प्रथम तल, 24, नवजवान रोड, नई दिल्ली-110015, फोन: 26419177, 26419977 ई-मेल: sbi.b615@sbi.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अभाव प्राप्तशियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति – दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है. जो भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार एसबीआई, एस ए आर बी-I, रिटेल, 23, गणजरगढ़ रोड, नई दिल्ली-110015 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर उधारकर्ता मैसर्स ग्रुस्ट मोटर्स प्रा. लि. / मैसर्स चड्ढा मोटर ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि. (1) श्री हरजीत सिंह चड्ढा पुत्र श्री चरणजीत सिंह चड्ढा (2) श्रीमती सिमरन कौर चड्ढा पत्नी श्री हरजीत सिंह चड्ढा (3) श्री दिलज